उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-2

संख्याः-4/2016/सी0एम0-35/24-पी-2-16-सा0(106)/2015

लखनऊः दिनांकः 10 मार्च, 2016

कार्यालय ज्ञाप

ऊर्जा अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2016/सीएम-29/24-पी-2-16-सा0(106)/2015, दिनांक 17.02.2016 द्वारा श्री बृज किशोर सिंह पुत्र श्री अनन्त सिंह, निवासी-बस्ती को एक वर्ष के लिए ऊर्जा विभाग का सलाहकार नियुक्त किया गया है। अतः वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-4/जी-2-144/दस-2014-1-विविध/दस-2014, दिनांक 15.12.2014 के अधीन ऊर्जा सलाहकार श्री बृज किशोर सिंह पुत्र श्री अनन्त सिंह, निवासी-बस्ती को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन मानदेय/भत्ते, अन्य देयों एवं विभिन्न सुविधायें प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- **नियत मानदेय-** रू0 40,000.00 प्रतिमाह नियत मानदेय अनुमन्य होगा। जिस पर कोई मंहगाई भत्ता देय नही होगा। इसका सम्बन्ध उन्हें प्राप्त होने वाली पेंशन से नही होगा।

2- **आवासीय सुविधा-** रू0 10,000.00 (रूपया दस हजार मात्र) प्रतिमाह आवासीय भत्ता अनुमन्य होगा।

3- **वाहन-** एक वाहन की सुविधा अनुमन्य होगी।

4- **यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता-** बैठकों मे भाग लेने हेतु बाहर से आने की दशा मे यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता एवं प्रासंगिक व्यय (इंसीडेण्टल चार्जेस) उन्हीं दरों पर अनुमन्य होगा, जैसा वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-3 एवं सुसंगत आदेशों में सम्बन्धित संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के स्तर के सरकारी अधिकारियों के सम्बन्ध में विहित की गयी हो।

5- **टेलीफोन सुविधा-** टेलीफोन की सुविधा कार्यालय तथा आवास दोनों स्थानों पर प्रति टेलीफोन अधिकतम रू0 25,000.00 वार्षिक अनुमन्य होगी।

6- **वैयक्तिक स्टाफ की सुविधा-** एक वैयक्तिक सहायक एवं 02 अनुसेवक की सुविधा अनुमन्य होगी।

--2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7- **<u>चिकित्सा सुविधा-</u>** प्रदेश सरकार के अधीन कार्यरत समूह-**क** के अधिकारियों के समान चिकित्सा सुविधा अनुमन्य होगी।

2- ऊर्जा विभाग के सलाहकार श्री बृज किशोर सिंह पुत्र श्री अनन्त सिंह, निवासी-बस्ती को मानदेय/भत्ते, अन्य देयों एवं विभिन्न उल्लिखित सुविधायें उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा प्रदान की जायेंगी।

संजय अग्रवाल
प्रमुख सचिव

<u>संख्या-4/2016/सी0एम0-35(1)/24-पी-2-2016, तददिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-प्रथम), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
3- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
4- सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन ।
5- राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उ0प्र0 ।
6- ऊर्जा विभाग के सलाहकार, श्री बृज किशोर सिंह ।
7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव सचिव, ऊर्जा विभाग।
8- वित्त (सामान्य) अनुभाग-2/गोपन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
9- ऊर्जा अनुभाग-1/3/निजी निवेश प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

एन0एच0 रिजवी
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।